



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3810]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940

No. 3810]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

सं. 35/2015-2020

विषय:— विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में संशोधन-अग्रिम प्राधिकार पत्र, ईपीसीजी और ईओयू स्कीम के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी) और क्षतिपूर्ति उपकर छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाना।

का.आ. 4988(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.14 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।
- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.01 (क) के तहत ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।
- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत ईओयू स्कीम के अंतर्गत एकीकृत कर एवं क्षतिपूर्ति उपकर से छूट को 31.03.2019 तक बढ़ाया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.14, पैरा 5.01 (क) और पैरा 6.01 (घ) (ii) को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/373/एम-18/पीसी-4]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2018

No. 35/2015-2020

Subject: Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020 - Extension of Integrated Goods and Service Tax (IGST) and Compensation Cess exemption under Advance Authorisation, EPCG and EOU scheme upto 31.03.2019.

S.O. 4988(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

1. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under Advance Authorization under Para 4.14 of FTP 2015-20 is extended upto 31.03.2019.
2. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under EPCG Scheme under Para 5.01(a) of FTP 2015-20 is extended up to 31.03.2019.
3. Exemption from Integrated Tax and Compensation Cess under EOU scheme under Para 6.01(d)(ii) of FTP 2015-20 is extended up to 31.03.2019.

Effect of the Notification: Para 4.14, Para 5.01(a) and Para 6.01(d)(ii) of FTP are amended as above.

[F. No. 01/94/180/373/AM-18/PC-4]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.